भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4759
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पादप आधारित सामग्री और उत्पादों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया

†4759. श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नवीन पादप आधारित संघटकों और उत्पादों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रस्तावित/मौजूदा प्रोत्साहन दिया गया है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-निर्दिष्ट खाद्य एवं खाद्य अवयवों का अनुमोदन) विनियम, 2017 गैर-निर्दिष्ट खाद्य एवं खाद्य अवयवों के पूर्व अनुमोदन के लिए नियमावली एवं प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करता है। इस विनियमन में ऐसे खाद्य पदार्थ या खाद्य अवयव शामिल हैं जिनके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत विनिर्मित किसी भी विनियमन में मानक विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।

विशेषज्ञ समिति (ईसी) उपर्युक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के आधार पर प्रस्तुत आवेदन का मूल्यांकन करती है और गैर-विनिर्दिष्ट खाद्य के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत विशेष आवेदन के संबंध में अपनी राय की अनुशंसा करती है।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य पूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ, चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य पदार्थ, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और नवीन खाद्य पदार्थ) विनियम, 2016 और खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेद आहार) विनियम, 2022 को भी अधिसूचित किया है। आयुर्वेद आहार से तात्पर्य उन व्यंजनों, अवयवों या प्रक्रियाओं का उपयोग करके तैयार किए गए भोजन से है, जिन्हें इन विनियमों की 'अनुसूची क' के तहत सूचीबद्ध आयुर्वेद की आधिकारिक आयुर्वेदिक पुस्तकों में वर्णित है।

*****